

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26697/2026**

गुलिस्ता

.....आवेदिका

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : अम्बरीन मसरूर, सदरुल इस्लाम

जाफ़री, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78**माननीय सुभाष चन्द्र शर्मा, न्यायमूर्ति**

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि वह मृतका की सास है जो निर्दोष है और वर्तमान मामले में झूठा फंसा दी गई है। विचारण के दौरान अभियोजन साक्षी-1 एवं 2, जो मृतका के ससुर एवं सास हैं, के बयान दर्ज किए गए हैं जिनमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन नहीं किया तथा पक्षद्रोही हो गए हैं। आगे प्रस्तुत किया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिससे यह संकेत मिले कि आवेदिका तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा मृतका को जबरन तेजाब पिलाया गया था। आगे प्रस्तुत किया कि परिवार के सभी सदस्यों के विरुद्ध मृतका को तेजाब पिलाने का सामान्य आरोप लगाया गया है, जबकि उसके शरीर पर ऐसी कोई चोट नहीं पाई गई जिससे यह संकेत मिले कि तेजाब पिलाने के लिए उसके साथ बल प्रयोग किया गया था।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि डॉक्टर द्वारा मृतका का मृत्यु-पूर्व कथन दर्ज किया गया था, जिसमें वर्तमान आवेदिका की कोई विशिष्ट भूमिका निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के संबंध में केवल सामान्य भूमिका बताई गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि घटना 01.08.2025 को घटित होना बताई गई है और प्रथम सूचना रिपोर्ट 26.08.2025 को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

स्पष्टीकरण पश्चात् पर्याप्त विलंब से दर्ज कराई गई। आवेदिका 12.09.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा विचारण चल रहा है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी तथा विचारण में सहयोग करेगी।

दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि मृतका के पिता एवं माता विचारण के दौरान पक्षद्रोही हो गए हैं तथा उन्होंने अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन नहीं किया है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, प्राथमिकी की विषय-वस्तु, चिकित्सीय रिपोर्ट, विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान अभियोजन साक्षी-1 एवं 2 द्वारा दिए गए बयानों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पीड़िता के मृत्यु-पूर्व कथन तथा आवेदिका द्वारा जेल में बिताई गई अवधि अर्थात् 12.09.2025 को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदिका ने जमानत का मामला बनाया है।

तदनुसार, यह जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

मुकदमा अपराध संख्या 384/2025, अंतर्गत धारा 80(2), 85, 124(1), 351(2), 352 बी.एन.एस. तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना-दिदौली, जनपद-अमरोहा में संलिप्त आवेदिका- **गुलिस्ता** को विचारण लंबित रहने के दौरान संबंधित न्यायालय की संतुष्टि अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

1. आवेदिका विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
2. आवेदिका अभियोजन पक्ष के किसी गवाह पर दबाव नहीं डालेगी/धमकी नहीं देगी।
3. आवेदिका नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
4. आवेदिका ऐसा कोई अपराध नहीं करेगी जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
5. आवेदिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

पक्षकार इस आदेश की इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई स्वयं सत्यापित कंप्यूटर जनित प्रति दाखिल करेगा। संबंधित न्यायालय/प्राधिकारी/अधिकारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस कंप्यूटरीकृत प्रति की प्रामाणिकता का सत्यापन करेगा तथा ऐसे सत्यापन की लिखित घोषणा करेगा।

अगस्त 10, 2026

(सुभाष चन्द्र शर्मा, न्यायमूर्ति)